

प्रेषक,
राकेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 01 अप्रैल, 2016

विषय- वर्ष 2016-17 में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना के अन्तर्गत हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016(प्रति संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2016-17 में उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण योजना अन्तर्गत, भण्डार शुल्क, ब्याज एवं परिवहन पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

(1) ब्याज के सम्बन्ध में

यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की प्रीपोजीशनिंग योजना के अन्तर्गत पी०सी०एफ० एवं समितियों को उनके द्वारा निवेश की गयी धनराशि पर देय ब्याज, जो 11.25 प्रतिशत से अनधिक होगा, की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी।

(2) भण्डारण शुल्क के सम्बन्ध में

पी०सी०एफ० एवं समितियों को भण्डारित यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों पर "भण्डारण निगम से न्यूनतम सम्भव दरों अथवा इफको द्वारा पीसीएफ को प्रदान किये जा रहे भण्डारण शुल्क में से जो कम हो की दर पर" देय भण्डारण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(3) पी०सी०एफ० बफर गोदाम से समितियों तक पूर्व भण्डारित फास्फेटिक व यूरिया उर्वरक एवं पूर्व भण्डारण योजना के अतिरिक्त सामान्य यूरिया तथा फास्फेटिक उर्वरक के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान।

वर्ष 2016-17 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उर्वरक का भण्डारण कराया जाना है। अतएव पी०सी०एफ० बफर गोदामों से समितियों तक पूर्व भण्डारित फास्फेटिक व यूरिया उर्वरक एवं पूर्व भण्डारण योजना के अतिरिक्त सामान्य यूरिया तथा फास्फेटिक उर्वरक के वास्तविक परिवहन व्यय में प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रदत्त धनराशि को घटाकर अन्तर की धनराशि की प्रतिपूर्ति पीसीएफ एवं अन्य परिवहन संस्थाओं को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि उर्वरक का परिवहन जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नहीं होगा।

(4) पूर्व भण्डारित उर्वरको के विक्रय के समय मूल्यों में कमी हो जाने पर समितियों को सम्भावित क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान।

प्रदायकर्ताओं से क्रय की गयी पूर्व भण्डारित उर्वरक के सम्बन्ध में भविष्य में इस स्थित की सम्भावना हो सकती है कि पूर्व भण्डारित उर्वरकों के बिक्री मूल्यों में कमी हो जाए। चूँकि तब किसानों को

-----2/-----

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

घटे मूल्य पर ही उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित कराना होगा जिसके परिणामस्वरूप संस्थाओं /सहकारी संस्थाओं को हानि उठानी पड़ेगी इसलिए संस्था /सहकारी समितियों को होने वाली इस सम्भावित हानि की प्रतिपूर्ति सरकार से कराया जाना अभीष्ट होगा। इसकी प्रथमतः प्रतिपूर्ति प्रस्तावित बजट की बचत की धनराशि से या बचत की अनुलब्धता की दशा में अतिरिक्त माँग के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी।

(5) योजना का क्रियान्वयन गत वर्ष की स्वीकृति कार्य योजना के अनुसार ही किया जायेगा तथा इस हेतु वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध धनराशि में ही व्यय सीमित किया जायेगा। यदि किन्हीं परिहार्य तथा औचित्य पूर्ण कारणों से अतिरिक्त देयतायें सृजित होती हैं तो वित्त विभाग के परामर्श यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(6) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ एवं उ०प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० लखनऊ इन व्ययों के मद तथा व्ययों को बेहतर वित्तीय /प्रशासकीय प्रबन्धन से सीमित करने का प्रयास करेंगे, जिससे वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक की प्राविधानित धनराशि तक ही व्यय सीमित रहे। साथ ही बैंको से ऋण लिया जाना इस तरह से नेगोसियेट करेंगे कि न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सके।

(7) पूर्ण भण्डारण योजना में व्यय धनराशि का पीसीएफ द्वारा राज्य आडिट ईकाई से आडिट कराकर रिपोर्ट आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण पर ब्याज मद, भण्डारण मद, एवं परिवहन मद में व्यय होने वाली धनराशि की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्रदान की जायेगी।

(9) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० दिनांक 31दिसम्बर, 2016 तक यूरिया एवं उर्वरको के अग्रिम भण्डारण एवं उर्वरकों के परिवहन के सम्बन्ध में नियमावली दिनांक 31दिसम्बर, 2016 तक तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(10) उक्त व्यय आय-व्ययक 2016-17 में उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण योजना के अन्तर्गत उपलब्ध/ प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही तत्परता से कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

पृष्ठकन संख्या- 8/2016/527(1)/49-3-2016.तद -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

- 1- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, लखनऊ को इस आशय से कि दिये गये निर्देशों का कड़ा अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
- 3- वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर निबन्धक(कृषि-निवेश) सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।